आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 130/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जे. एम. फाईनेन्शियल एसेस्ट रिकंन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, 7वीं मंजिल, सेनर्जी अप्पा साहेब, मराठे मार्ग, प्रमादेवी, मुम्बई ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रमेश कुमार पलसानिया पुत्र श्री नानूराम पलसानिया,
   पताः– पलसानिया हाऊस, दांतारामगढ़ रोड़, पावर हाऊस के सामने, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर एवं सिरियल नं. 62, बुक नं. 2, वार्ड नं. 9, नया वार्ड नं. 11, दांतारामगढ़ रोड़, किशनगढ़ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जयपुर।
2. श्रीमती पेहपु देवी पलसानिया पुत्री श्री नारायण सिंह रनवा,
   पताः– पलसानिया हाऊस, वार्ड नं. 9, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :– श्री [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.07.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रमेश कुमार पलसानिया के स्वामित्व की सम्पत्ति वार्ड सं. 11 नया, वार्ड संख्या 9 पुराना, बुक संख्या 2 की संपत्ति, एस. संख्या 62 के समस्त खण्ड व हिस्से, दांतारामगढ़ रोड, किशनगढ़ रेनवाल, तहसील फुलेरा, कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग गज को बन्धक रख कर दिनांक 28.11.2015 को राशि 15,00,000/– रूपये, दिनांक 28.11.2016 को राशि 05,00,000/– रूपये, कुल राशि 20,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वित्तीय संस्था पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी का खाता जरिये असाईनमेन्ट दिनांकित 30.06.2022 से प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आव यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 20,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 45,14,462.00/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 31.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रमेश कुमार पलसानिया के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति वार्ड सं. 11 नया, वार्ड संख्या 9 पुराना, बुक संख्या 2 की संपत्ति, एस. संख्या 62 के समस्त खण्ड व हिस्से, दांतारामगढ़ रोड़, किशनगढ़ रेनवाल, तहसील फुलेरा, कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)